राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत सुरू असलेली "गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" ही योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना सुरु करण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**
**कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-२०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३**
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२
दिनांक: १७ मे, २०२३

वाचा:- (१) शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्र.पविआ-२०१६/प्र.क्र.११४/पदुम-३, दिनांक २६.०४.२०१७
(२) शासन निर्णय,कृषि व पदुम विभाग, क्र. पविआ-१०१८/प्र.क्र.३२/पदुम-३ , दिनांक ०८.०३.२०१९

**प्रस्तावना :-**

राज्यात दि.४ मार्च, २०१५ पासून महाराष्ट्र प्राणी रक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार संपूर्ण गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शेतकामासाठी, ओझी वाहण्यासाठी व पैदाशीसाठी उपयुक्त नसलेले गोवंशीय बैल व वळू यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. परिणामी, कालांतराने शेती व दूध यासाठी अनुत्पादक असलेल्या गोवंशीय पशुधनाच्या संख्येत वाढ होणार असून, या सर्व पशुधनाचा सांभाळ / संगोपन करणे आवश्यक ठरणार आहे.

२. राज्यस्तरीय योजनेअंतर्गत "**गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र**" ही योजना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे २ जिल्हे वगळता उर्वरीत ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात राबविण्यासाठी वाचा क्र. १ येथील दिनांक- २६ एप्रिल, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली होती. सदर योजना रद्द करुन, नवीन सुधारीत योजना राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदर योजना राज्यात राबविण्यासाठी दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजी आदेश निर्गमित करण्यात आले.

३. उक्त दिनांक ०८ मार्च, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ४ (२) मध्ये सदर योजना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये ३४ जिल्ह्यातील १३९ महसूली उपविभागामध्ये राबविण्यात येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

४. तथापि, माहे सप्टेंबर, २०१९ मध्ये राज्यात सार्वजनिक निवडणूकांच्या अनुषंगाने आदर्श आचारसंहिता लागू झाली. तसेच निवडणूकीनंतर काही कालावधीसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर माहे मार्च, २०२० पासून कोवीड-१९ महामारीच्या कारणास्तव देशात टाळेबंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आले, अशा विविध कारणामुळे सदर योजनेची आजपर्यंत

अंमलबजावणी करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे वाचा क्र. २ येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेली योजना रद्द करुन सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही नवीन योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय:-**

५. वर नमूद केलेली वस्तुस्थिती, उक्त परि.क्र. ४ मधील नमूद बाबी विचारात घेता, वाचा क्र.१ येथील दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णय तसेच वाचा क्र. २ येथील दिनांक ०८.०३.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करुन गोवंशाचा सांभाळ (भाकड गाई, अनुत्पादक / निरुपयोगी बैल, वळू इ.) करण्यासाठी गोशाळांना अर्थसहाय्य देण्याकरिता खालीलप्रमाणे सुधारीत "गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" ही सुधारीत नवीन योजना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात आहे.

(१) राज्यातील मुंबई व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे तसेच यापूर्वी दिनांक २६.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राबविण्यात आलेल्या योजनेमध्ये ज्या ३२ तालुक्यातील गोशाळांना अनुदान देण्यात आले आहे, ते तालुके वगळून प्रत्येक तालुक्यामध्ये १ याप्रमाणे सोबतच्या **परिशिष्ट-"अ"** मध्ये नमूद केलेल्या ३२४ तालुक्यांसाठी सदर योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(२) सदर योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून सोबतच्या **परिशिष्ट-"अ"** मध्ये नमूद केलेल्या ३४ जिल्ह्यातील ३२४ तालुक्यांमधून प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांची अनुदानासाठी निवड करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(३) या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेस त्यांच्याकडे असलेली पशुधन संख्या विचारात घेऊन अनुदान वाटप करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

(४) सदर योजने अंतर्गत ५० ते १०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. १५.०० लक्ष, १०१ ते २०० पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. २०.०० लक्ष आणि २०० पेक्षा अधिक पशुधन असलेल्या गोशाळेस रु. २५.०० लक्ष एवढे अनुदान एकवेळचे अर्थसहाय्य म्हणून मंजूर करण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात येत आहे.

(५) तसेच सदर योजने अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या गोशाळेस मंजूर अनुदानापैकी प्रथम टप्प्यात ६० टक्के व निर्धारीत निकषाच्या पूर्तीनंतर व्दितीय टप्प्यात ४० टक्के अनुदान वाटप करण्यात यावे.

(६) मुंबई व मुंबई उपनगर या २ जिल्ह्यातील अनुत्पादक / भाकड गायी व गोवंश असल्यास, त्यांना लगतच्या ठाणे जिल्ह्यातील यापूर्वी अनुदान मंजूर केलेल्या, त्याचप्रमाणे प्रस्तुत योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात येणाऱ्या गोशाळेकडे वर्ग करण्यात यावे.

**६. योजनेचे उद्देश :-**

**(अ) मुलभूत उद्देश-**

(१) दुग्धोत्पादनास, शेतीकामास, पशु-पैदाशीस, ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या / असलेल्या गाय, वळू, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे.

(२) उक्त पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे.

(३) गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणीसाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे.

(४) गोमूत्र, शेण इ. पासून विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मितीस प्रोत्साहन /चालना देणे.

**(ब) विविध विभागाच्या/संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे :-**

(१) राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता, संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायींमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळूचे वीर्य वापरुन कृत्रिम रेतन करुन घेण्यात यावे.

(२) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन देण्यात यावीत.

(३) वरील प्रमाणे कृत्रिम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री करण्यात यावी.

(४) संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नर वासरे / कालवडी यांची वाढ खुंटणे, कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारणा न होणे, गर्भपात होणे इत्यादी विपरीत परीणाम होऊ शकतात. हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळूंचे खच्चीकरण करण्यात यावे.

(५) संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवावेत व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावेत.

(६) महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाद्वारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी दूध संघ, पशुपैदासकाराच्या संघटना आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांचेशी समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळविणे .

**७. लाभार्थी निवडीचे निकष / अटी व शर्ती :-**

(१) सदरची संस्था धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी.

(२) संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ०३ वर्षाचा अनुभव असावा.

(३) केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण / चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्टयावरची किमान ०५ एकर जमीन असावी.

(४) संस्थेने या योजनेंतर्गत मागणी केलेल्या एकूण अनुदानाच्या कमीत कमी १० टक्के एवढे खेळते भाग-भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे.

(५) संस्थेचे नजीकच्या मागील ३ वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे.

(६) संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यासोबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील.

(७) संबंधित संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बॅकेत खाते असणे आवश्यक आहे.

(८) संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजूर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडून अदा करण्यासाठी संस्था आर्थिकदृष्टया सक्षम असावी.

(९) या योजनेंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल, त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही.

(१०) ज्या संस्थांकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे, अशा संस्थांना प्राधान्य देण्यात येईल.

(११)प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन, केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीताच, अनुदान अनुज्ञेय राहील.

(१२) प्रशासकीय विभागाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मूलभूत सुविधा निर्माण केल्यास, अशा बाबींसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजूर करण्यात येणार नाही.

## ८. **या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल:-**

(अ) पशुधनासाठी नवीन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची, पिण्याची पाण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धेकरिता विहीर / बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडूळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी, अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधांकरिता अनुदान देण्यात यावे. याकरिता संस्थांच्या प्रस्तावामध्ये वरील बाबींचा समावेश करण्यात यावा. जुन्या शेडच्या दुरूस्तीकरिता या योजनमधून अनुदान मिळणार नाही.

(ब) कृषि / पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन, राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनांमधून, चारा उत्पादनांच्या योजनांमधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे, खते, ठोंबे, हायड्रोपोनीक, वाळलेला चारा उत्पादन / ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील.

(क) तसेच विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास "कृषि / कृषिपंप" या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही.

(ड) याशिवाय या गोशाळांनी रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात.

९. **"सुधारीत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र" या योजनेतंर्गत लाभार्थी गोशाळांची निवड :-**

**(अ)** या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी गोशाळेची निवड करण्याचे अधिकार खालील गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीस राहतील:-

**राज्यस्तरीय निवड समितीची संरचना :-**

| | | |
|---|---|---|
| १ | मा. मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) | अध्यक्ष |
| २ | मा. राज्यमंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास) | उपाध्यक्ष |
| ३ | प्रधान सचिव / सचिव (पदुम) | सदस्य |
| ४ | आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे | सदस्य |
| ५ | प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी नामनिर्देशीत केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी | सदस्य |
| ६ | प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांनी नामनिर्देशीत केलेला उपसचिवांपेक्षा कमी दर्जा नसलेला अधिकारी | सदस्य |
| ७ | शासन नियुक्त दोन अशासकीय सदस्य | सदस्य |
| ८ | उप सचिव / सह सचिव (पशुसंवर्धन) | सदस्य सचिव |

**(ब)** प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक छानणी करण्यासाठी प्रादेशिक स्तरावर खालीलप्रमाणे छानणी समिती गठीत करण्यात येत आहे:-

**प्रादेशिक स्तरावरील छाननी समितीची संरचना :-**

(१) संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन - अध्यक्ष

(२) संबंधित सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त - सदस्य

(३) सहायक आयुक्त, प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांचे कार्यालय - सदस्य सचिव

१०. सदर योजनेतील अनुदानासाठीचा प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांच्याकडे सादर करावा. प्राप्त झालेले अर्ज संबंधित जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी उक्त प्रादेशिक स्तरावरील समितीसमोर पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करावेत.

११. संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन यांनी प्राप्त प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी केल्यानंतर सदर प्रस्ताव यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठवावेत.

१२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राप्त झालेले पात्र प्रस्ताव छाननी केल्यानंतर राज्यस्तरीय निवड समितीची मान्यता घेण्यासाठी शासनास सादर करावेत. (अपात्र प्रस्ताव प्रादेशिक समीतीच्या स्तरावर अमान्य करावेत.)

१३. राज्यस्तरीय निवड समितीवर नियुक्त करण्यात आलेल्या अशासकीय सदस्यांचा कार्यकाल त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून ३ वर्षाचा राहील. त्यांच्यावर कोणत्याही फौजदारी स्वरुपाच्या गुन्हाची नोंद नसावी.

१४. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास राहतील.

१५. या योजनेंतर्गत अनुदानासाठी निवड करण्यात आलेल्या संबंधित संस्थेने सदर योजनेप्रमाणे बांधकाम, विद्युत्तीकरण, इत्यादी बाबी तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे जिल्हास्तरावरील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करुन घ्यावे.

१६. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापासून ३२४ तालुक्यांमधील प्रत्येकी १ याप्रमाणे ३२४ गोशाळांसाठी एकवेळचे रु. ६५.०० कोटी एवढे अनुदान प्रस्तुत राज्यस्तरीय योजनेंतर्गत "मागणी क्र. डी-४, पशुसंवर्धन, (००) १०२, पशु व महिष विकास, (१०), गोशाळा व पांजरपोळ विकास, (१०)(०४), गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र, सांकेतांक - २४०३ डी- २५७, ३३- अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर लेखाशिर्षामध्ये उपलब्ध झालेल्या निधीमधून या योजनेसाठी खर्च करण्यात येईल.

१७. सदर योजना महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत राबविण्यात यावी. तथापि, सदर आयोग पूर्ण स्वरुपात कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत आयुक्त पशुसंवर्धन आणि त्यांच्या नियंत्रणाखालील यंत्रणेमार्फत सदर योजना राबविण्याची कार्यवाही तातडीने सुरु करावी. ज्यावेळी महाराष्ट्र गोसेवा आयोग पूर्णपणे कार्यान्वित होईल, त्यावेळी सदर योजनेची पुढील कार्यवाही महाराष्ट्र गोसेवा आयोग यांच्यामार्फत करण्यात यावी.

१८. सदर योजनेच्या अनुषंगाने वित्तीय बाबी वगळता शासन निर्णयामध्ये आवश्यकते प्रमाणे किरकोळ बदल करण्याचे अधिकार मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांना राहतील.

१९. सदरचा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४०/१४३१, दिनांक १७.०४.२०२३ व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३६९/व्यय-२, दिनांक १५.०५.२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

२०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१८१२०१२२९२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

VIKAS TULSHIRAM KADAM

Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 2.5.4.20=9869ec61c857e78e82b7a19b04c6d22f8ef1b8dbc9b19d45ef776d80ef148059, pseudonym=DC507174367F67372038B4A3876B5734B8B7FD46, serialNumber=406CB152E109154A7466C0050F88E5A437E17838973824687653A5E8D144B72B, cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM
Date: 2023.05.18 12:04:41 +05'30'

**( विकास तु. कदम )**
**अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७.
३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून)
४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन.
५. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
६. मा. मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
८. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त.
९. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद.
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १/२, मुंबई / नागपूर.
११.वित्त विभाग, (व्यय-२ / अर्थ-१५) मंत्रालय, मुंबई-३२.
१२.नियोजन विभाग, (कार्या. १४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२.
१३.निवड नस्ती (पदुम- ३).

(शासन निर्णय क्र: पविआ १०२१/प्र.क्र.३५६/पदुम-३, दिनांक १७ मे, २०२३ सोबतचे सहपत्र)

## परिशिष्ट -अ

गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र या योजनेअंतर्गत निवडीसाठी पात्र तसेच निवड करावयाच्या तालुक्यांचा जिल्हानिहाय तपशील.

| अ.क्र. | महसूली विभाग | जिल्हा | अ.क्र. | तालुक्याचे नाव | योजनेमध्ये निवडीसाठी पात्र तालुक्यांची जिल्हानिहाय संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| १ | कोकण | ठाणे | १ | ठाणे | ठाणे जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये ता. शहापूर या तालुक्यामध्ये **विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट,मु. मोहोली पो. अघई ता. शहापुर जि. ठाणे** या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. ठाणे जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ०६ अशी आहे. |
| २ | | | २ | कल्याण | |
| ३ | | | ३ | मुरबाड | |
| ४ | | | ४ | भिंवडी | |
| ५ | | | ५ | उल्हासनगर | |
| ६ | | | ६ | अंबरनाथ | |
| ७ | | पालघर | १ | पालघर | ०८ |
| ८ | | | २ | वसई | |
| ९ | | | ३ | डाहाणू | |
| १० | | | ४ | तलासरी | |
| ११ | | | ५ | जव्हार | |
| १२ | | | ६ | मोखाडा | |
| १३ | | | ७ | वाडा | |
| १४ | | | ८ | विक्रमगड | |
| १५ | | रायगड | १ | पेण | रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे ता. कर्जत (माथेरान) या तालुक्यामध्ये श्रीकृष्ण गोशाळा ट्रस्ट, मुखांडपे, ता. कर्जत.जि.रायगड या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. |
| १६ | | | २ | अलिबाग | |
| १७ | | | ३ | मुरुड | |
| १८ | | | ४ | पनवेल | |
| १९ | | | ५ | उरण | |
| २० | | | ६ | खालापूर | |
| २१ | | | ७ | मांणगाव | |
| २२ | | | ८ | तळा | |
| २३ | | | ९ | रोहा | |
| २४ | | | १० | सुधागड | |
| २५ | | | ११ | महाड | |
| २६ | | | १२ | पोलादपूर | |
| २७ | | | १३ | श्रीवर्धन | |
| २८ | | | १४ | म्हसळा | |
| २९ | | रत्नागिरी | १ | रत्नागिरी | रत्नागीरी जिल्ह्यामध्ये एकूण ०९ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे चिपळूण या तालुक्यामध्ये श्री. संत ज्ञानेश्वर माऊली जिवनमुक्तीधाम सेवा संस्थान, चिपळुण या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात |
| ३० | | | २ | संगमेश्वर | |
| ३१ | | | ३ | लांजा | |
| ३२ | | | ४ | राजापूर | |
| ३३ | | | ५ | गुहागर | |
| ३४ | | | ६ | दापोली | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३५ | | | ७ | मंडणगड | आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०८ अशी आहे. |
| ३६ | | | ८ | खेड | |
| ३७ | | सिंधूदूर्ग | १ | कनकवली | ०८ |
| ३८ | | | २ | वैभववाडी | |
| ३९ | | | ३ | देवगाव | |
| ४० | | | ४ | मालवण | |
| ४१ | | | ५ | सावंतवाडी | |
| ४२ | | | ६ | कुडाळ | |
| ४३ | | | ७ | वेंगुर्ला | |
| ४४ | | | ८ | डोडामार्ग (कासल) | |
| ४५ | पुणे | पुणे | १ | पुणे शहर | १५ |
| ४६ | | | २ | हवेली | |
| ४७ | | | ३ | पिंपरी चिंचवड | |
| ४८ | | | ४ | खेड (राजगुरु नगर) | |
| ४९ | | | ५ | जुन्नर | |
| ५० | | | ६ | आंबेगांव (घोडेगांव) | |
| ५१ | | | ७ | मावळ (वडगाव) | |
| ५२ | | | ८ | मुळशी (पौड) | |
| ५३ | | | ९ | शिरुर | |
| ५४ | | | १० | पुरंदर (सासवड) | |
| ५५ | | | ११ | वेल्हे | |
| ५६ | | | १२ | भोर | |
| ५७ | | | १३ | बारामती | |
| ५८ | | | १४ | इंदापूर | |
| ५९ | | | १५ | दौंड | |
| ६० | | सातारा | १ | सातारा | सातारा जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे वाई या तालुक्यामध्ये करुणा मंदिर सेवा प्रतिष्ठान गोशाळा, वेळे, ता. वाई या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१० अशी आहे. |
| ६१ | | | २ | जावळी | |
| ६२ | | | ३ | कोरेगांव | |
| ६३ | | | ४ | महाबळेश्वर | |
| ६४ | | | ५ | खंडाळा | |
| ६५ | | | ६ | फलटण | |
| ६६ | | | ७ | मान (दहीवडी) | |
| ६७ | | | ८ | खटाव (वडूज) | |
| ६८ | | | ९ | पाटण | |
| ६९ | | | १० | कराड | |
| ७० | | सांगली | १ | मिरज | १० |
| ७१ | | | २ | कवठे-मंहाकाळ | |
| ७२ | | | ३ | तासगांव | |
| ७३ | | | ४ | जत | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ७४ | | | ५ | शिराळा | |
| ७५ | | | ६ | खानापूर (विटा) | |
| ७६ | | | ७ | आटपाडी | |
| ७७ | | | ८ | पलूस | |
| ७८ | | | ९ | कडेगाव | |
| ७९ | | | १० | वाळवा (इस्लामपूर) | |
| ८० | | सोलापूर | १ | सोलापूर दक्षिण | सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण ११ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे सोलापूर उत्तर या तालुक्यामध्ये श्री शंकेश्वर जैन युवा मंडळ संचलित अहिंसा गोशाळा, सोलापूर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१० अशी आहे. |
| ८१ | | | २ | बार्शी | |
| ८२ | | | ३ | अक्कलकोट | |
| ८३ | | | ४ | माढा | |
| ८४ | | | ५ | करमाळा | |
| ८५ | | | ६ | पंढरपूर | |
| ८६ | | | ७ | मोहोळ | |
| ८७ | | | ८ | माळशिरस | |
| ८८ | | | ९ | सांगोले | |
| ८९ | | | १० | मंगलवेढा | |
| ९० | | कोल्हापूर | १ | पन्हाळा | कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १२ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेप्रमाणे करवीर या तालुक्यामध्ये श्री. सिध्दगीरी मठ, कन्हेरी, ता. करवीर,जि. कोल्हापूर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ११ अशी आहे. |
| ९१ | | | २ | शाहूवाडी | |
| ९२ | | | ३ | कागल | |
| ९३ | | | ४ | हातकणंगले | |
| ९४ | | | ५ | शिरोळ | |
| ९५ | | | ६ | राधानगरी | |
| ९६ | | | ७ | गगनबावडा | |
| ९७ | | | ८ | भूदरगड | |
| ९८ | | | ९ | गडहिंग्लज | |
| ९९ | | | १० | चंदगड | |
| १०० | | | ११ | आजरा | |
| १०१ | नागपूर | नागपूर | १ | नागपूर (शहरी) | नागपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये रामटेक या तालुक्यामध्ये गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार ता. रामटेक,जि. नागपूर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. नागपूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१३ अशी आहे. |
| १०२ | | | २ | नागपूर (ग्रामीण) | |
| १०३ | | | ३ | कामठी | |
| १०४ | | | ४ | हिंगणा | |
| १०५ | | | ५ | काटोल | |
| १०६ | | | ६ | नरखेड | |
| १०७ | | | ७ | सावनेर | |
| १०८ | | | ८ | कळमेश्वर | |
| १०९ | | | ९ | मौदा | |
| ११० | | | १० | पारशिवणी | |
| १११ | | | ११ | उमरेड | |
| ११२ | | | १२ | कुही | |
| ११३ | | | १३ | भिवापूर | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ११४ | | भंडारा | १ | भंडारा | भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये लाखणी या तालुक्यामध्ये मातोश्री गोशाळा, रेंगेपार (कोहळी) जि.भंडारा या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. भंडारा जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०६ अशी आहे. |
| ११५ | | | २ | तुमसर | |
| ११६ | | | ३ | पवणी | |
| ११७ | | | ४ | मोहाडी | |
| ११८ | | | ५ | साकोली | |
| ११९ | | | ६ | लाखांदूर | |
| १२० | | चंद्रपूर | १ | चंद्रपूर | चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये ब्रम्हपूरी या तालुक्यामध्ये गोविंद गोशाळा, हळदा, ता. ब्रम्हपुरी या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. |
| १२१ | | | २ | सावली | |
| १२२ | | | ३ | मूल | |
| १२३ | | | ४ | बल्लारपूर | |
| १२४ | | | ५ | पोंभुरणा | |
| १२५ | | | ६ | गोंडपिपरी | |
| १२६ | | | ७ | वरोरा | |
| १२७ | | | ८ | चिमूर | |
| १२८ | | | ९ | भद्रावती | |
| १२९ | | | १० | नागभीड | |
| १३० | | | ११ | सिंदेवाही | |
| १३१ | | | १२ | राजूरा | |
| १३२ | | | १३ | कोरपना | |
| १३३ | | | १४ | जिवती | |
| १३४ | | गडचिरोली | १ | गडचिरोली | १२ |
| १३५ | | | २ | धानोरा | |
| १३६ | | | ३ | चामोर्शी | |
| १३७ | | | ४ | मुलचेरा | |
| १३८ | | | ५ | देसाईगंज (वडसा) | |
| १३९ | | | ६ | आरमोरी | |
| १४० | | | ७ | कुरखेडा | |
| १४१ | | | ८ | कोरची | |
| १४२ | | | ९ | अहेरी | |
| १४३ | | | १० | भामरागड | |
| १४४ | | | ११ | सिरोंचा | |
| १४५ | | | १२ | एटापल्ली | |
| १४६ | | गोंदिया | १ | तिरोडा | गोंदीया जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये गोंदिया या तालुक्यामध्ये श्रीकृष्ण गोरक्षण सभा (पांजरपोळ) गोंदिया या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०७ अशी आहे. |
| १४७ | | | २ | गोरेगाव | |
| १४८ | | | ३ | अर्जुनी मोरगाव | |
| १४९ | | | ४ | आमगाव | |
| १५० | | | ५ | सालेकसा | |
| १५१ | | | ६ | सडक अर्जुनी | |
| १५२ | | | ७ | देवरी | |
| १५३ | | वर्धा | १ | वर्धा | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १५४ | | | २ | देवळी | वर्धा जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये आर्वी या तालुक्यामध्ये संत लहानुजी महाराज संस्थान, टाकरखेडा ता. आर्वी या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. वर्धा जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ०७ अशी आहे. |
| १५५ | | | ३ | सेलू | |
| १५६ | | | ४ | कारंजा | |
| १५७ | | | ५ | आष्टी | |
| १५८ | | | ६ | हिंगणघाट | |
| १५९ | | | ७ | समुद्रपूर | |
| १६० | नाशिक | नाशिक | १ | नाशिक | नाशिक जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यामध्ये ब्रह्मचारी सोमेश्वर चैतन्य कल्याणकारी संस्था, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. |
| १६१ | | | २ | इगतपूरी | |
| १६२ | | | ३ | दिंडोरी | |
| १६३ | | | ४ | पेठ | |
| १६४ | | | ५ | कळवण | |
| १६५ | | | ६ | देवळा | |
| १६६ | | | ७ | सुरगाना | |
| १६७ | | | ८ | बागलान (सटाना) | |
| १६८ | | | ९ | मालेगाव | |
| १६९ | | | १० | नांदगाव | |
| १७० | | | ११ | चांदवड | |
| १७१ | | | १२ | निफाड | |
| १७२ | | | १३ | सिन्नर | |
| १७३ | | | १४ | येवला | |
| १७४ | | अहमदनगर | १ | शेवगाव | अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये एकूण १४ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये अहमदनगर या तालुक्यामध्ये पांजरपोळ गोरक्षण संस्था, अहमदनगर तसेच पाथर्डी या तालुक्यामध्ये संत जनाबाई महिला मंडळ, हनुमान टाकळी, पाथर्डी, जि. अहमदनगर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारित योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१२ अशी आहे. |
| १७५ | | | २ | पारनेर | |
| १७६ | | | ३ | संगमनेर | |
| १७७ | | | ४ | कोपरगाव | |
| १७८ | | | ५ | अकोले | |
| १७९ | | | ६ | श्रीरामपूर | |
| १८० | | | ७ | नेवासा | |
| १८१ | | | ८ | राहाता | |
| १८२ | | | ९ | राहूरी | |
| १८३ | | | १० | श्रीगोंदा | |
| १८४ | | | ११ | कर्जत | |
| १८५ | | | १२ | जामखेड | |
| १८६ | | जळगाव | १ | जामनेर | जळगाव जिल्ह्यामध्ये एकूण १५ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जळगाव या तालुक्यामध्ये आर.सी.बाफना गोसेवा अनुसंधान केंद्र, जळगाव तसेच यावल या तालुक्यामध्ये गो-विज्ञान अनुसंधान व बहुउद्देशीय संस्था, हरीपूर, ता. यावल, जि. जळगांव या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले |
| १८७ | | | २ | एरंडोल | |
| १८८ | | | ३ | धरणगाव | |
| १८९ | | | ४ | भुसावळ | |
| १९० | | | ५ | रावेर | |
| १९१ | | | ६ | मुक्ताई नगर (ऐदलाबाद) | |
| १९२ | | | ७ | बोदवड | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| १९३ | | | ८ | अमळनेर | आहेत. जळगाव जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१३ अशी आहे. |
| १९४ | | | ९ | पारोळा | |
| १९५ | | | १० | चोपडा | |
| १९६ | | | ११ | पाचोरा | |
| १९७ | | | १२ | भडगाव | |
| १९८ | | | १३ | चाळीसगाव | |
| १९९ | | धुळे | १ | साकरी | धुळे जिल्ह्यामध्ये एकूण ०४ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये धुळे या तालुक्यामध्ये नवकार गोशाळा पांजरपोळ, धुळे, जि. धुळे या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ०३ अशी आहे. |
| २०० | | | २ | सिंदखेडा | |
| २०१ | | | ३ | शिरपूर | |
| २०२ | | नंदूरबार | १ | नंदुरबार | नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये एकूण ०६ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये नवापूर या तालुक्यामध्ये पांजरपोळ गोशाळा सेवा मंडळ, कोठडे, ता. नवापुर, जि. नंदुरबार या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०५ अशी आहे. |
| २०३ | | | २ | शहादा | |
| २०४ | | | ३ | तळोदे | |
| २०५ | | | ४ | अक्कलकुवा | |
| २०६ | | | ५ | अकरानी (धडगाव) | |
| २०७ | अमरावती | अमरावती | १ | अमरावती | १४ |
| २०८ | | | २ | भातुकली | |
| २०९ | | | ३ | नंदगांव खांडेश्वर | |
| २१० | | | ४ | धारणी | |
| २११ | | | ५ | चिखलदरा | |
| २१२ | | | ६ | अचलपूर | |
| २१३ | | | ७ | चांदूर बाजार | |
| २१४ | | | ८ | मोर्शी | |
| २१५ | | | ९ | वरुड | |
| २१६ | | | १० | दर्यापूर | |
| २१७ | | | ११ | अंजनगाव | |
| २१८ | | | १२ | चांदूर रेल्वे | |
| २१९ | | | १३ | धामणगाव | |
| २२० | | | १४ | तिवसा | |
| २२१ | | अकोला | १ | अकोट | अकोला जिल्ह्यामध्ये एकूण ०७ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये अकोला या तालुक्यामध्ये आदर्श गोसेवा एवं अनुसंधान प्रकल्प, अकोला या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. अकोला जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या - ०६ अशी आहे. |
| २२२ | | | २ | तेल्हारा | |
| २२३ | | | ३ | बालापूर | |
| २२४ | | | ४ | पातूर | |
| २२५ | | | ५ | मुर्तीजापूर | |
| २२६ | | | ६ | बार्शीकली | |
| २२७ | | बुलढाणा | १ | बुलढाणा | बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये एकूण १३ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जळगाव |
| २२८ | | | २ | चिखली | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २२९ | | | ३ | देऊळगाव | जामोद या तालुक्यामध्ये श्री. गोपालकृष्ण गोरक्षण संस्था, जळगाव जामोद ता. जळगाव जामोद या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१२ अशी आहे. |
| २३० | | | ४ | संग्रामपूर | |
| २३१ | | | ५ | मलकापूर | |
| २३२ | | | ६ | मोताळा | |
| २३३ | | | ७ | नांदूरा | |
| २३४ | | | ८ | खामगाव | |
| २३५ | | | ९ | शेंगाव | |
| २३६ | | | १० | मेहकर | |
| २३७ | | | ११ | सिंदखेड राजा | |
| २३८ | | | १२ | लोणार | |
| २३९ | | वाशिम | १ | वाशिम | वाशिम जिल्ह्यामध्ये एकुण ०६ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये मंगरुळपीर या तालुक्यामध्ये श्री. दिलीपबाबा गोरक्षण जिवदया व्यसन मुक्ती संस्था, मु. लाठी ता. मंगरुळपीर जि. वाशिम या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. वाशिम जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०५ अशी आहे. |
| २४० | | | २ | मालेगाव | |
| २४१ | | | ३ | रीसोड | |
| २४२ | | | ४ | कारंजा | |
| २४३ | | | ५ | मनोरा | |
| २४४ | | यवतमाळ | १ | आर्णी | यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये एकुण १६ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये यवतमाळ या तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था, लोखंडी पुल, यवतमाळ तसेच दिग्रस या तालुक्यामध्ये कपिला गोरक्षण संस्था, दिग्रस, जि. यवतमाळ या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. |
| २४५ | | | २ | बाभूळगाव | |
| २४६ | | | ३ | कळंब | |
| २४७ | | | ४ | दारव्हा | |
| २४८ | | | ५ | नेर | |
| २४९ | | | ६ | पुसद | |
| २५० | | | ७ | उमरखेड | |
| २५१ | | | ८ | महागाव | |
| २५२ | | | ९ | पांढरकवडा-केळापूर | |
| २५३ | | | १० | राळेगाव | |
| २५४ | | | ११ | घाटंजी | |
| २५५ | | | १२ | वणी | |
| २५६ | | | १३ | मारेगाव | |
| २५७ | | | १४ | झरी जामनी | |
| २५८ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | १ | कन्नड | औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये एकुण ०९ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये औरंगाबाद या तालुक्यामध्ये मॉ शारदामाता संस्था संचालित गोशाळा, औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०८ अशी आहे. |
| २५९ | | | २ | सोयगाव | |
| २६० | | | ३ | सिल्लोड | |
| २६१ | | | ४ | फुलंब्री | |
| २६२ | | | ५ | खुलताबाद | |
| २६३ | | | ६ | बैजापूर | |
| २६४ | | | ७ | गंगापूर | |
| २६५ | | | ८ | पैठण | |
| २६६ | | बीड | १ | आष्टी | बीड जिल्ह्यामध्ये एकुण ११ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये बीड या तालुक्यामध्ये |
| २६७ | | | २ | पाटोदा | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| २६८ | | | ३ | शिरुर-कासार | यशवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, पालवण, बीड तसेच परळी या तालुक्यामध्ये रामरक्षा प्रतिष्ठान परळी वैजनाथ ता. परळी वैजनाथ, जि. बीड या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०९ अशी आहे. |
| २६९ | | | ४ | गेवराई | |
| २७० | | | ५ | माजलगाव | |
| २७१ | | | ६ | वडवणी | |
| २७२ | | | ७ | केज | |
| २७३ | | | ८ | धारुर | |
| २७४ | | | ९ | अंबेजोगाई | |
| २७५ | | जालना | १ | भोकरदन | जालना जिल्ह्यामध्ये एकूण ०८ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये जालना या तालुक्यामध्ये श्री. गोरक्षण पांजरपोळ, जालना या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. जालना जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०७ अशी आहे. |
| २७६ | | | २ | जाफराबाद | |
| २७७ | | | ३ | बदनापूर | |
| २७८ | | | ४ | अंबड | |
| २७९ | | | ५ | घनसावंगी | |
| २८० | | | ६ | परतूर | |
| २८१ | | | ७ | मंठा | |
| २८२ | | उस्मानाबाद | १ | उस्मानाबाद | ०८ |
| २८३ | | | २ | तुळजापूर | |
| २८४ | | | ३ | भूम | |
| २८५ | | | ४ | परांडा | |
| २८६ | | | ५ | वाशी | |
| २८७ | | | ६ | कळंब | |
| २८८ | | | ७ | लोहारा | |
| २८९ | | | ८ | उमरगा | |
| २९० | | नांदेड | १ | नांदेड | नांदेड जिल्ह्यामध्ये एकूण १६ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये मुदखेड या तालुक्यामध्ये प्रियदर्शिनी मागासवर्गीय विकास महिला मंडळ, मुदखेड, जि.नांदेड तसेच मुखेड या तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था मुखेड, ता. मुखेड, जि. नांदेड या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुके वगळण्यात आले आहेत. नांदेड जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -१४ अशी आहे. |
| २९१ | | | २ | अर्धापूर | |
| २९२ | | | ३ | भोकर | |
| २९३ | | | ४ | उमरी | |
| २९४ | | | ५ | लोहा | |
| २९५ | | | ६ | कंधार | |
| २९६ | | | ७ | किनवट | |
| २९७ | | | ८ | हिमायतनगर | |
| २९८ | | | ९ | हदगांव | |
| २९९ | | | १० | माहूर | |
| ३०० | | | ११ | देगलूर | |
| ३०१ | | | १२ | धर्माबाद | |
| ३०२ | | | १३ | बिलोली | |
| ३०३ | | | १४ | नायगांव | |
| ३०४ | | परभणी | १ | परभणी | परभणी जिल्ह्यामध्ये एकूण ०९ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये गंगाखेड या तालुक्यामध्ये श्री छत्रपती शिवाजी गोशाळा, राणी सावरगाव, जि.परभणी या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात |
| ३०५ | | | २ | सोनपेठ | |
| ३०६ | | | ३ | पालम | |
| ३०७ | | | ४ | पुर्णा | |
| ३०८ | | | ५ | सेलू | |
| ३०९ | | | ६ | जिंतूर | |
| ३१० | | | ७ | मानवत | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ३११ | | | ८ | पाथरी | आला आहे. परभणी जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०८ अशी आहे. |
| ३१२ | | लातूर | १ | लातूर | लातूर जिल्ह्यामध्ये एकूण १० तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये **उदगीर** या तालुक्यामध्ये गोरक्षण संस्था, सोमनाथपुर, उदगीर, जि. लातुर या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०९ अशी आहे. |
| ३१३ | | | २ | रेणापूर | |
| ३१४ | | | ३ | अहमदपूर | |
| ३१५ | | | ४ | जळकोट | |
| ३१६ | | | ५ | चाकुर | |
| ३१७ | | | ६ | शिरुर अनंतपाळ | |
| ३१८ | | | ७ | औसा | |
| ३१९ | | | ८ | निलंगा | |
| ३२० | | | ९ | देवणी | |
| ३२१ | | हिंगोली | १ | हिंगोली | हिंगोली जिल्ह्यामध्ये एकूण ०५ तालुके असून त्यापैकी सन २०१७ च्या योजनेमध्ये **सेनगाव** या तालुक्यामध्ये गोरक्षनाथ आदिवासी सेवाभावी संस्था, हत्ता (नाईक),ता. सेनगाव या संस्थेस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे सुधारीत योजने मध्ये सदर तालुका वगळण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये योजनेसाठी पात्र तालुक्यांची संख्या -०४ अशी आहे. |
| ३२२ | | | २ | कळमनुरी | |
| ३२३ | | | ३ | वसमत | |
| ३२४ | | | ४ | औंढा नागनाथ | |